जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांकःएफ/महा.वि.प./2011/ 3543

दिनांकः 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : श्री रावतपुरा सरकार स्नातक महाविद्यालय, डगरई, दतिया

मनोनीत सदस्य : 1. श्री अशोक शर्मा, सदस्य, कार्यपरिषद्

2. डॉ. जे.एन. सोनी, शासकीय जी.आर.एम.सी., ग्वालियर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपिः-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. **प्राचार्य, श्री रावतपुरा सरकार स्नातक महाविद्यालय, डगरई, दतिया** की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2010/4035 दिनांक : 14.11.11

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 21 जून, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार **श्री रावतपुरा सरकार स्नातक महाविद्यालय, डगरई, दतिया** को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.एस-सी., बी.बी.ए. तथा बी.सी.ए.** पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. प्राचार्य की नियुक्ति 28(17) के अंतर्गत की जावे।
2. खेल शिक्षक की नियुक्ति 28(17) के अंतर्गत की जावे।
3. स्नातक महाविद्यालय की लाइब्रेरी को इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइब्रेरी से पृथक किया जावे एवं वर्तमान सत्र में 50,000/-- की पुस्तकें क्रय की जावें।
4. कम्प्यूटर, मैनेजमेन्ट एवं कामर्स में 28(17) के अंतर्गत दो-दो नियुक्तियां और की जावें।
5. 28(17) का पालन किया जावे।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री रावतपुरा सरकार स्नातक महाविद्यालय, डगरई, दतिया
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/4870

दिनांक : 11/05/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के निर्णयानुसार **श्री रावतपुरा सरकार स्नातक महाविद्यालय, डमरई, दतिया** को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.एस-सी. (आ.पा., वनस्पति शास्त्र, रसायन, बायोटेक्नोलॉजी, इण्डस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एवं बायोकैमिस्ट्री), बी.कॉम. द्वितीय वर्ष, प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बी.लिब** एवं एम.एस-सी. पूर्वार्द्ध-(बायोटेक) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. प्राचार्य शिक्षकों की नियुक्ति 28(17) में 3 माह में कर विश्वविद्यालय को सूचित करें, यदि नियुक्ति नहीं की जाती है, तो सत्र 2012-13 में महाविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश न दे विश्वविद्यालय सम्बन्धित महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता भी सत्र 2012-13 में न दे।
2. प्रयोगशालाओं में 5 लाख के उपकरण एवं रसायन क्रय करें।
3. लाइब्रेरी में रू. 1,50,000/- की मानक पुस्तकें क्रय करें।
4. कम्प्यूटर लैब में बी.सी.ए. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित लीगल साफ्टवेयर क्रय करें।
5. शिक्षकों को वेतन चैक के माध्यम से या बैंक के माध्यम से प्रदान किया जावे।
6. शासकीय निकाय की बैठकें नियमित करें।
7. लाइब्रेरियन एवं स्पोर्ट आफीसर की नियुक्ति 28(17) में करें।
8. परिनियम 27,28 का पालन सुनिश्चित करें।

नोट- सत्र 2012-13 के पहले समिति निरीक्षण कर सुनिश्चित करें कि उपरोक्त शर्तों की पूर्ति हो चुकी है तभी अगले सत्र की सम्बद्धता पर कार्यवाही की जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, **श्री रावतपुरा सरकार स्नातक महाविद्यालय, डमरई, दतिया**
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

E:\Yogi\2012\Adhisoochna.doc - -